न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 01/2021

अपीलान्टस	रेस्पोडेण्टस
1. गेला वल्द गलबाजी कौम मेगवंशी साकिन वाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर। 2. हंसाराम पुत्र दलारामजी जाति मेगवाल निवासी वाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. ग्राम पंचायत मालवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मालवाडा, तहसील रानीवाडा

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 1130 दिनांक 05.02.2020

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. रेस्पोडेण्टस स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 18.03.2021

1. अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 1130 दिनांक 05.02.2020 ग्राम पंचायत मालवाडा के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा में अपीलाण्टस संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.67 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.69 हेक्टेयर ,खसरा नम्बर 203 रकबा 0.56 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.57 हेक्टेयर आई हुई हैं। अपीलाण्ट संख्या 1 ने उक्त आराजी का बैचान करने हेतु श्री जेठाराम पुत्र हंसाराम कौम मेघवाल साकिन वाडा तहसील रानीवाडा को अपना आम मुख्तीयार नियुक्त किया था तथा श्री जेठाराम अपीलाण्ट संख्या 1 की उक्त आराजी बाबत मुख्तीयार नियुक्त होने से श्री जेठाराम ने उक्त आराजी का बेचान अपीलाण्ट संख्या 1 की ओर से दिनांक 03.05.2019 को अपीलाण्ट संख्या 2 के पक्ष में किया था। तथा वक्त खरीद उक्त आराजी का कब्जा भी अपीलाण्ट संख्या 2 को सुपुर्द कर दिया था तथा अपीलाण्टस संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित बैचान दस्तावेज दिनांक 03.05.2019 के आधार उक्त आराजी अपीलाण्ट संख्या 2 के नाम दर्ज करने हेतु म्यूटेशन संख्या 1130 भरा गया था, परन्तु रेस्पोडेण्टस द्वारा अपीलाण्ट संख्या 2 के पक्ष में भरे गये म्युटेशन संख्या 1130 को आदेश दिनांक 05.02.2020 को अस्वीकृत किया गया। जिससे आहत होकर अपीलाण्टस की ओर से यह म्युटेशन अपील निम्न आधारों पर पेश गई है।
2. रेस्पोडेण्टस ग्राम पंचायत मालवाडा द्वारा म्यूटेशन अस्वीकृत करने पूर्व अपीलाण्टस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। इसलिये उक्त म्यूटेशन संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:13 IST
Reason: SelfAttested

1130 को खारीज करने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से काबिल खारीज हैं। ग्राम पंचायत मालवाडा द्वारा बेचानकर्ता अपीलाण्ट संख्या 1 की मानसिक स्थिति सहीं नहीं होने व मौके पर विवाद होने संबंधी अपना मत बिना आधार के उल्लेखित कर उक्त म्युटेशन संख्या 1130 को खारीज करने में कानूनी व वाक्याति भूल की हैं। इसलिये ग्राम पंचायत मालवाडा का आदेश दिनांक 05.02.2020 काबिल खारीज है। उक्त म्यूटेशन संख्या 1130 अपीलाण्ट संख्या 2 के पक्ष में भरा जाकर निरीक्षक भू अभिलेख मालवाडा द्वारा जांच में उक्त इन्द्राज सही पाये जाने व उक्त म्यूटेशन संख्या 1130 पंजीबद्व बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा हुआ होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत मालवाडा द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं देकर कानूनी व वाक्याति भूल की है। इसलिये ग्राम पंचायत मालवाडा का आदेश दिनांक 05.02.2020 काबिल खारीज है। अतः म्युटेशन अपील मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत मालवाडा द्वारा दिनांक 05.02.2020 जिसके जरिये म्यूटेशन संख्या 1130 को खारीज किया गया है। को अपास्त कर उक्त म्यूटेशन संख्या 1130 को स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

3. रेस्पोडेण्टस की ओर से लिमिटेशन प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। म्यूटेशन अपील में रेस्पोडेण्टस द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस की गई।

4. सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में बैचान दस्तावेज के म्यूटेशन संख्या 1130 को ग्रम पंचायत मालवाडा के द्वारा खारीज करने के आदेश के विरूद्व पेश कि है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टस को उक्त आराजी से संबंधित नकले हल्का पटवारी से लेने पर दिनांक 15.12.2020 को हुई। अपीलाण्ट अनपढ व ग्रमीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति है। तथा ग्राम पंचायत मालवाडा द्वारा ना0 क0 संख्या 1130 स्वीकृत करते समय अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरीत होने से अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2021 बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता गया तथा विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

5. हमने अपीलाण्ट अधिवक्ता व रेस्पोडेण्टस की बहस सुनी गई। रेस्पोडेण्टस द्वारा अपील के तथ्यों को स्वीकार किया गया। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा बैचान पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 03.05.2019 का अध्ययन किया, उक्त बैचान दस्तावेज में बैचानकर्ता अपीलाण्ट संख्या 1 ने मौजा मालवाडा खसरा नम्बर 202 रकबा 0.69 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.56 हेक्टेयर ,खसरा नम्बर 204 रकबा 0.67 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.57 हेक्टेयर आराजी में से सम्पूर्ण 1/6 हिस्से (0.415 हेक्टेयर) की आराजी का बैचान अपीलाण्ट संख्या 2 को कृषि भूमि का बैचान किया है। उक्तानुसार बेचान दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 1130 खोला गया जिसका अवलोकन किया। जिसमें ग्राम पंचायत मालवाडा के आदेश दिनांक 05.12.2020 के अनुसार बैचानकर्ता गेला वल्द गलबा की मानसिक स्थिति सही नही होने के कारण व मौके पर विवाद की स्थिति [illegible] किया गया।

6. उक्त आदेश के पक्ष में रेस्पोडेण्टस द्वारा [illegible] साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया जिससे गेला वल्द गलबा [illegible]सिक स्थि[illegible] सही नही होने व मौके पर विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:13 IST
Reason: SelfAttested

साबित होता हो। रेस्पोडेण्टस द्वारा भी उक्त अपील के तथ्यों को स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मालवाडा द्वारा म्यूटेशन संख्या 1130 पारित आदेश दिनांक 05.12.2020 को अपास्त किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

7. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत मालवाडा द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 1130 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2020 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त ना0 संख्या 1130 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रर्ड बैचान दस्तावेज पंजीयन दिनांक 03.05.2019 क्रम संख्या 201903439100767 का अध्ययन कर उसके अनुरूप नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना—अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:13 IST
Reason: SelfAttested